

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1109/दो-6-2018-53(36)/2007
लखनऊ: दिनांक : 22 जून, 2018
कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री रविप्रकाश अरोड़ा, से0नि0, आई0ए0एस0 को उनकी पत्नी श्रीमती रीता अरोड़ा स्वयं के दिनांक 12.12.17 से 20.04.18 तक डा0 के0जे0एस0 ^{सचिवालय} सभरवाल, देहरादून से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0-7,410/- (रूपये सात हजार चार सौ दस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवंबर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री रविप्रकाश अरोड़ा का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सचिवालय शाखा, लखनऊ में खाता संख्या- 31014985492 तथा आई0एफ0एस0 कोड- SBIN0006893 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या- पी- 001/075/068335 है तथा यह वरिष्ठ भुगतान एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 शासन, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली से पेंशन आहरित करते हैं।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1109(1)/दो-6-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम , उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति(लेखा) को दो प्रतियों में मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- श्री रविप्रकाश अरोड़ा, आई0ए0एस0, से0नि0, 56 फेज-1, बसन्तबिहार, देहरादून।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनुसचिव।